

7-217 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष~~
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीछरीन
 अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य
 कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार विनांक... 28-217
 को पेश हो।

[Signature]

28-217 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष~~
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीछरीन
 अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य
 कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार विनांक... 28-317
 को पेश हो।

[Signature]
रीडर

28-217 वकील उभयपक्ष उप हैं/वास्तु जवाब T-I
 पत्रा-वि 2-517 को पेश हो।

2-517 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष~~
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीछरीन
 अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य
 कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार विनांक... 26-517
 को ~~पेश हो~~ राजस्व लोक आदातन केंद्र
 बुचोलाई पर पेश हो। *[Signature]* रीडर

26-517 पत्रावली आज राजस्व लोक आदातन केंद्र
 बुचोलाई पर पेश हुई। प्राथीगण अमरकाल व पप्पू
 उपस्थित हैं। अप्राथीगण भी उपस्थित हैं। T-I
 प्रापत्र के विन्दु पर उभयपक्ष को सुना गया।
 प्राथीगण का कहना है कि उन्हें साविक ख० नं० 90
 रकबा 4 बीघा 12 कित्वा ग्राम टोरोलाई में से
 1 बीघा 10 कित्वा भूमि 12+83 को आवंटित हुई थी
 जिस पर प्राथीगण का विज काश्त चले आ रहे हैं।
 अर प्रकल्प में इसका ख० नं० 390 रकबा 33 सयर
 बनाया गया है परन्तु इसे सिवायक दर्ज कर दिया
 गया है। अब अप्राथीगण प्राथीगण को इस भूमि
 से बेदखल करने पर उत्तक है। अतः अप्राथीगण

पप्पू



नि. विमरलाहा

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम
अत
हुक
मे

को अस्थाई विवेधाना से पाबंद किया जावे।

अप्राथीगण का कहना है कि भूमि ख० नं० 390
सिवायक दर्ज है इसलिए इन्हे भूमि से वेदरवली
की कार्यवाही की गई है। प्राथीगण सरकारी भूमि पर
आतिक्रमी है इसलिए प्राथीगण का प्रा०पत्र श्वारिज
फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का
अवलोकन किया। फोटोकॉपी आवंटन आदेश दि०
12-1-83 के अनुसार अमरलाल पुत्र मौरुण को
ग्राम गेंदोलाई में भूमि ख० नं० 90 रकबा 1 बीघा 10 किबा
आवंटित हुई है। फोटोकॉपी नकल मिलान शेखफल के
अनुसार इसका नवीन नम्बर 390 रकबा 33 सयर
कायम हुआ है जो राजस्थान सरकार के नाम है।
प्राथी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अभिलेख के अनुसार
प्रथम दृष्टया मामला प्राथीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः प्राथीगण का न.प्र. प्रा०पत्र इस
प्रकार निर्णित किया जाता है कि उभयपक्षकामान
वादग्रस्त भूमि ~~की~~ ख० नं० 390 रकबा 33 सयर
ग्राम गेंदोलाई की ताफैसला दावा मौका व रेकार्ड की
स्थिति यथावत बनाए रखे।

पत्रावली फैसलानुसार दोहर नम्बर से
कम हो एवं काद नकमील मूल काद के साथ संलग्न रहे।
निर्णय आज दि० 26-5-17 को राजस्व
लोक अदालत कैम्प कूचोलाई पर सुनाया गया।



(बाबूलाल जाट)

उप जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी